

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग


अधिसूचना

पटना, दिनांक- 05/04/2016

संख्या-एसीस 01/नि०-90/2011 श्र०सं० 01...../ विभागीय आदेश सं० 451, दिनांक 09.02.16 द्वारा सेवा में पुनर्स्थापित होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ० सुमित्रा साहू को अगले आदेश तक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बंजारी, रोहतास में होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


संख्या-एसीस 01/नि०-90/2011 श्र०सं० 02...../ डॉ० एस० एस० मुजफ्फरुद्दीन बल्खी, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बंजारी, रोहतास को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, समस्तीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-एसीस 01/नि०-90/2011 श्र०सं० 02...../ पटना, दिनांक-05/04/2016  
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-एसीस 01/नि०-90/2011 श्र०सं० 02...../ पटना, दिनांक-05/04/2016  
प्रतिलिपि : निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/डॉ० सुमित्रा साहू, सेवानिवृत्त होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पटना सीटी, पता-बारी पथ, मुसल्लहपुर, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना/डॉ० एस० एस० मुजफ्फरुद्दीन बल्खी, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बंजारी, रोहतास/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।